

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल।

E-mail:dfonainital_uta@yahoo.com

Telefax.05942-236790

पत्रांक:- 4168 / 13-नावली

दिनांक 23/2/2021

सेवा में,

✓ अधिशासी अभियंता,
निर्माण, खण्ड लो0नि0वि0
नैनीताल।

प्रकाश सं०... 561...
पत्रावली सं०... 184...
दिनांक... 23/02/2021

विषय :- जनपद-नैनीताल के अर्न्तगत विकास खण्ड रामगढ में लक्ष्मीखान-नथुवाखान-प्यूडा-व्यारब मोटर मार्ग के किमी0 11 में नावली नामक स्थान से लोशजानी तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.936 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन। प्रस्ताव संख्या (FP/UK/ROAD/39655/2019)

संदर्भ :- भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून की पत्र सं0 8वी0/यू0पी0सी0/06/86/2020/एफ0सी0/2168 दिनांक 27.01.2021. एवं अपर प्रमुख वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, भूमि सर्वेक्षण निदेशालय, उत्तराखण्ड देहरादून की पत्र सं0 2078 /FP/UK/ROAD/39655/2019 देहरादून, दिनांक 6 फरवरी 2021

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्रों का अवलोकन करें। विषयगत प्रकरण में भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय देहरादून के सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित निम्न लिखित शर्तों का अनुपालन किया जाना है।

1- शर्त न0 3(क) के अनुपालन में क्षतिपूरक वृक्षारोपण की धनराशि प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव की धनराशि रू0 1.872 है0 x 3,37,184.00 = 6,31,208.00 (रू0 छः लाख इक्तीस :हजार: दो सौ आठ) मात्र की धनराशि वन विभाग के पक्ष में जमा की जानी है। जो प्रमुख वन संरक्षक उत्तराखण्ड देहरादून की पत्र संख्या 972/3-5-2 दिनांक 21-11-2017 द्वारा निर्धारित दर पर आगणन किया गया है।

2- शर्त न0 5(क) के अनुपालन में एन0पी0वी0 की धनराशि रूपया 0.938 है0 x 6,57,000 = 6,14,952.00 (रू0 छः लाख चौदह हजार नौ सौ वावन) मात्र वन विभाग के पक्ष में जमा की जानी है।

शर्त न0 5(ख) के अनुपालन में विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि यदि कोई हो जो अन्तिम रूप देने के बाद देय हो, को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जायेगा। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इसका एक शपथ पत्र प्रस्तुत करेगा।

3- शर्त न0 9 के अनुपालन में State govt. will inform to this office if they pass any order for tree cutting and commencement of work befor stage II approval as per guidelines para 11.2 The State Govt. will strictly monitor and ensure that no further activity is carried out under such permission after the expiry of one year form the date of issue of such permission.

4- शर्त न0 10 के अनुपालन में एफ.आर.ए. 2006 का पूर्ण अनुपालन संबंधित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जायेगा।

5- शर्त न0 10 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण आईआरसी0मानदंडों के अनुसार सड़क के दोनो किनारों पर पौधों की संख्या बढ़ाएगा।

5- शर्त न0 12 के अनुपालन में संरक्षित क्षेत्रों/ वन क्षेत्रों में निश्चित दूरी पर सड़क के साथ गति विनियम साइनेज लगाए जाएंगे।

6- शर्त न0 13 के अनुपालन में पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्राविधानों के अनुसार, उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करेगा।

7- शर्त न0 17 के अनुपालन में संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी के निर्देशानुसार, प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर भूमि पर सीमांकन किया जाएगा।

8- शर्त न0 21 के अनुपालन में इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 का उल्लंघन होगा एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशानिर्देश फाइल संख्या 11-42/2017-FC दिनांक 29.01.2018 के अनुसार उस पर कार्यवाही होगी।

9- शर्त न0 22 के अनुपालन में पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय-समय पर निर्धारित शर्तें लागू होंगी।

10-शर्त न0 23 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण पूर्वविर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलेवे का निस्तारण करेगा कि वह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरे । राज्य के वन विभाग के पर्यवेक्षय में तथा परियोजना की लागत पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजातियों के पौधे लगाकर मलुवा निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एवं पुनर्जीवित करने का कार्य किया जायेगा । मलेवे को यथा स्थान रचाने हेतु दीवों बनाई जाएगी । निस्तारण स्थलों को राज्य के वन विभाग को सौंपने से पूर्व इसका स्थलीकरण एवं सुधार कार्य योजना अनुसार समयबद्ध तरीके से पूरा किया जायेगा । मलुवा निस्तारण क्षेत्र में वृक्षों की कटाई की अनुमति नहीं होगी ।

उपरोक्त के अतिरिक्त भारत सरकार की सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित अन्य शर्तों का अनुपालन आख्यो उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें ।

अतः भारत सरकार द्वारा प्रदत्त सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित उक्त शर्तों की बिन्दु वार अनुपालन प्रेषित करने का कष्ट करें ताकि प्रकरण में अग्रेत्तर कार्यवाही सम्भव हो सके ।

भवदीय,

प्रभागीय वनाधिकारी,
नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल ।

पत्रांक / उक्तदिनांकित ।

प्रतिलिपि :- अपर प्रमुख वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, भूमि सर्वेक्षण निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून को उनके उपरोक्त पत्र के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि - वन संरक्षक दक्षिणी कुमाऊ वृत्त नैनीताल को सूचनार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि :- जिलाधिकारी नैनीताल को उपरोक्त संदर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित ।

प्रभागीय वनाधिकारी,
नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल ।